डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस
उनवान

1. रामसिंह पुत्र श्री बाबूसिंह
2. भवानी पुत्र श्री बाबूसिंह
3. मुकुट पुत्र श्री बाबूसिंह
4. कमला बेवा मूलसिंह
5. सर्वेश बाई पुत्री मूलसिंह
6. नवलसिंह पुत्र नत्थूसिंह
7. विजेन्द्र सिंह पुत्र नत्थूसिंह
8. दलवीर सिंह पुत्र नत्थूसिंह
   समस्त जाति राजपूत नि0 मेंहन्दीपुर बालाजी तह0 टोडाभीम जिला करौली

वादीगण

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र गोपी
2. सन्तराम पुत्र गोपी
3. लालाराम पुत्र सोमोत्या
4. सेठी पुत्र मूलचन्द
5. सुरेश पुत्र लालाराम
6. पप्पी पुत्र लालाराम
7. चुन्या पुत्र सोन्या
8. खेमचन्द पुत्र चुन्या
9. पप्पूराम पुत्र गोपी
   समस्त जाति बैरवा निवासी मेंहन्दीपुर बालाजी तह0 टोडाभीम जिलाः करौली
10. तहसीलदार (सबरजिस्ट्रार) टोडाभीम जिला करौली राज0।
11. हजारी लाल पुत्र प्रभुदयाल, जाति कोली, निवासी खेलपाडा, टोडाभीम
12. लक्ष्मण पुत्र नाथ्या जाति बैरवा, निवासी मेंहन्दीपुर तह0 टोडाभीम, जिला करौली
13. गोवर्धन सिंह पुत्र हरिसंह जाति राजपूत
14. शिवराज सिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत
    निवासी कानेटी, तह टोडाभीम, जिला करौली

दावा बावत बेदखली आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 17/2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट, मिनकानिब गुदई रूबरू रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। कि

तनकीवार निर्णय अनुसार वादीगण का दावा खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है।

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 26.02.2021 को जारी की गई।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

तारीख रजू:– 28.02.2012

7 / 2012

पीठासीन अधिकारी– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

. रामसिंह पुत्र श्री बाबूसिंह
. भवानी पुत्र श्री बाबूसिंह
. मुकुट पुत्र श्री बाबूसिंह
. कमला बेवा मूलसिंह
. सर्वेश बाई पुत्री मूलसिंह
. नवलसिंह पुत्र नत्थूसिंह
. विजेन्द्र सिंह पुत्र नत्थूसिंह
. दलवीर सिंह पुत्र नत्थूसिंह
समस्त जाति राजपूत नि0 मेंहन्दीपुर बालाजी तह0 टोडाभीम जिला करौली

वादीगण

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र गोपी
2. सन्तराम पुत्र गोपी
3. लालाराम पुत्र सोमोत्या
4. सेठी पुत्र मूलचन्द
5. सुरेश पुत्र लालाराम
6. पप्पी पुत्र लालाराम
7. चुन्या पुत्र सोन्या
8. खेमचन्द पुत्र चुन्या
9. पप्पूराम पुत्र गोपी
   समस्त जाति बैरवा निवासी मेंहन्दीपुर बालाजी तह0 टोडाभीम जिलाः करौली
10. तहसीलदार (सबरजिस्ट्रार) टोडाभीम जिला करौली राज0।
11. हजारी लाल पुत्र प्रभुदयाल, जाति कोली, निवासी खेलपाडा, टोडाभीम
12. लक्ष्मण पुत्र नाथ्या जाति बैरवा, निवासी मेंहन्दीपुर तह0 टोडाभीम, जिला करौली
13. गोवर्धन सिंह पुत्र हरिसंह जाति राजपूत
14. शिवराज सिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत
    निवासी कानेटी, तह टोडाभीम, जिला करौली

दावा बावत बेदखली आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट वादीगण
श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट प्रतिवादी न0 11, 13, 14

निर्णय

दिनांकः– 26.02.2021

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मेहन्दीपुर राजी ख0 नं0 158 / 1.17, 158 / 472 / 0.10, 158 / 548 / 0.18, 159 / 0.05 कुल किता रकवा 1.50 है0 वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात है। जिससे ीगण का कोई संबंध नहीं है।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

वर्णित आराजीयात का सैटिलमेन्ट से पूर्व साबिक ख0नं0 122 रकबा 5 बीघा 19 वा था। जो नाथ्या पुत्र गिरधारी के नाम खातेदारी दर्ज थी। जिसे वादीगण नं0 1 ता 3 के ा बाबूसिंह तथा वादी नं0 4 के पति व 5 के पिता मूलसिंह तथा वादी नं0 6 ता 8 ने बेक खातेदार नाथ्या से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उपपंजीयक टोडाभीम के समक्ष 17.10. 37 को पंजीबद्व करा दिया और वादीगण का कब्जा करा दिया। और वादीगण उक्त राजीयात के बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गये। इस प्रकार खरीद के ा से वादीगण का मौके पर कब्जा चला आ रहा है। जिसमें वादीगण ने इस साल गेहूँ की ल काश्त की है। जो सरसब्ज हालत में खडी हुई है।

उक्त आराजी वाद पत्र मेंहन्दीपुर बालाजी जो एक राष्ट्रीय धार्मिक स्थल है, के पास जाने के कारण भूमि मुतदाबिया की कीमत काफी बढ. जाने के कारण प्रतिवादीगण जो ाफिया है, जिन्होंने गरीब काश्तकारों की जमीन पर लट्ठ के बल पर कब्जा कर ऊँची मत में बेचने लगे और वहॉ पर प्लांटिग का कार्य करने मे लगे है।

प्रतिवादीगण ने दिनांक 10.02.2012 को वादीगण की आराजी भूमि ख0नं0 8/472 रकबा 10 ऐयर, 158/548 रकबा 18 ऐयर, जो पाटौली बालाजी बाईपास सडक के ारे स्थित है, के उत्तर में प्रतिवादी नं0 1 ता 9 की खातेदारी भूमि खं0नं0 156, 157 स्थित ने के कारण प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि ख0न0 158/472, 158/548 को अपनी भूमि 0नं0 156, 157 में मिलाने की धमकी दी और वादीगण को बेदखल कर भूमाफिया को बेचने धमकी देकर गये। जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं हे।

घटना दिनांक 25.02.2012 की है कि प्रतिवादीगण ने वादीगण की खसरा नम्बर 8/472 रकबा 10 ऐयर, 158/548 रकबा 18 ऐयर पर जबरन कब्जा कर लिया। और स्वयं भूमि ख0नं0 156, 157 में मिला लिया। जबरन मजदूरों को बुलाकर पुख्ता निर्माण करने के ए नींव खोद दी, और बाउन्ड्री बॉल करने लग गये। जिस पर वादीगण ने पुलिस उपाधीक्षक डाभीम के समक्ष दिनांक 25.02.2012 को वादीगण की जमीन पर किये गये कब्जे के बारे में खित सूचना दी, जो दौराने अनुसंधान है। वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण से कब्जा छोडने बत् कहा लेकिन प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि पर किये गये कब्जे को छोडने को तैयार हीं हुये और भूमफियाओं को बेचने पर आमादा है। मौके पर पुख्ता निर्माण कर रहे भूमि की स्म कृषि को बदलकर अकृषि में तब्दील कर रहे है। जिस कारण वादीगण को यह दावा बत् बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

दौराने दावा प्रतिवादी नं0 12,13,14 द्वारा दिनांक 21.07.2015 को वादीगण की ातेदारी की भूमि खसरा नं0 158/47 158/548 स्थित ग्राम मेहन्दीपुर में जबरन पत्थर ालने लगे तो वादीगण के अधिवक्ता द्वारा उक्त आराजी पर न्यायालय से स्थगन तारीखी 28. 2.2012 मु0न0 11/12 के होने का कानूनी नोटिस भेजा गया। प्रतिवादीगण को नोटिस मेलने के उपरान्त ही पुनः प्रतिवादी नं0 1, 2 व 9 से खरीद लिये जाने के पश्चात पुनः दिनांक 09.01.2015 को प्रतिवादी नं0 11 की सहमति व उपस्थिति में प्रतिवादी नं0 13 व 14 स्वयं खडे रहकर वादीगण की आराजी ख0नं0 158/472 रकबा 10 ऐयर, 158/548 रकबा 18 ऐयर की भूमि को ख0नं0 156, 157 में मिलकर पुख्ता बाउन्ड्री वॉल कर दी। जिसका प्रतिवादीगण नं0 11 ता 14 को करने का कानूनी अधिकार नहीं है। जिसे वादीगण बेदखल कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी नं0 11 ता 14 न्यायालय के आदेश तारीखी 28.02.2012 की अवहेलना के दोषी है।

विनायदावा वादीगण को बखिलाफ प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि ख0नं0 158/472 रकबा 10 ऐयर, कुल 28 ऐयर भूमि पर जबरदस्ती दिनांक 10.02.2012 को कब्जा करने की धमकी देने पर तथा दिनांक 25.02.2012 को दिनांक 21.07.2015 को प्रतिवादी नं0 12 ता 14 वादीगण की भूमि में पत्थर डालने पर वादीगण के

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम

ा सुनील कुमार द्वारा प्रतिवादी नं0 12 ता 14 को दिनांक 22.07.2015 को लीगल भेजने तथा दिनांक 09.10.2015 को पुनः प्रतिवादी नं0 11 ता 14 द्वारा वादीगण की मिलाकर चारो तरफ पुख्ता डण्डा कर मिलाने के कारण प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण ाजीयात भूमि ख0नं0 158/548 रकबा 18 ऐयर 158/472 रकबा 10 एयेर, कुल 28 र जबरन कब्जा कर लेने व भूमि को खुर्द बुर्द करने की चेष्टा करने पर बमुकाम र तहसील टोडाभीम व अन्दर हदूद अदालत वाला पैदा हुई है और दावा हाजा अन्दर स्तुत है।

दावा वादीगण व खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् बेदखली आराजीयात, प्रतिवादीगण ने की आराजी ख0नं0 158/472 रकबा 10 ऐयर, 158/548 रकबा 18 ऐयर कुल 28 मे को नाजायज रूप से जबरन अपनी भूमि ख0नं0 156, 157 में मिला लिया है, को राई जाकर वादीगण को सम्भलाई जावें।

दावा वादीगण वखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नेषेधाज्ञा से इस अमर के लिये पाबन्द फरमाया जावें कि वादीगण के कब्जे काश्त व ी की भूमि ख0न.0 158/1.17, 158/472/0.10 158/548/0.18, 159/0.05, पर त रूप से कब्जा नहीं करें, ना ही भूमि को नाकाबिल काश्त करे वादीगण को कि काश्त करने देवें। ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे वादीगण व वादीगण की मूत को कोई क्षति पहुँचे। यदि दौराने दावा वादीगण को वादीगण की भूमि के किसी कब्जा कर ले। तो उन्हें बेदखल किया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 9 की और से श्री विजय भारती एडवोकेट ने वकालतनामा एवं जबाब प्रस्तुत किया वादीगण का वादीगण की आराजी ख0न0 158/472, 158/548 या वादीगण की अन्य से किसी प्रकार का कोई लेना–देना नही है। नाही प्रतिवादीगण वादीगण की आराजी 6 व 157 को अपनी आराजी मे मिलाना चाहते है वादीगण ने सरासर झूठे व गलत ाकर औचित्यहीन दावा पेश किया है। दावा खारिज फरमाया जावे। इसके पश्चात वकील एवं प्रतिवादीगण के उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही

वादी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 एवं आदेश 6 नियम 17 151 जा0दी0 पेश किया गया। बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी वकील को वादपत्र पेश करने के आदेश दिये जाने पर उन्होने संशोधितवादपत्र पेश किया। न0 12 स्वंय उपस्थित होने के बाद आगामी सुनवाई तिथि पर उपस्थित नही हुये उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न0 11, 13, 14 की और से मरोसी गुप्ता एडवोकेट ने जबाब पेश किया कि वादपत्र मे वर्णित तथ्य गलत व र हैं। जवाब के अतिरिक्त दावा मे अंकित किया है कि भूमि ख0न0 156/0.20, 31 कुल किता 2 कुल रकवा 0.51 है0 ग्राम मेहन्दीपुर मे स्थित है इस भूमि पर हजारीलाल पुत्र प्रभूदयाल हिस्सा 1/4 , 816/5100 का खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी हजारीलाल ने पूर्व खातेदार नानगी देवी पत्नि भोजूराम हिस्सा 1/4 तथा सन्तराम, गुलाव, पप्पू पुत्र गोपी , उगन्ती पुत्री गोपी से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र 22.07.2013 एवं 22.5.2014 को खरीद की है। खातेदारी दर्ज हो गई है। प्रतिवादी ाल की भूमि से वादीगण का कोई संवध किसी प्रकार का नही है। वादीगण की ात से हम प्रतिवादीगण का कोई संवध नही है। प्रतिवादी हजारीलाल अपनी खातेदारी ाजी पर ही काबिज है। आज से 15 वर्ष पूर्व से ही भूमि खसरा नम्बर 156, 157 की वाल हो रही है ख0न0 156, 157 तथा 158, 158/472, 158/548, 159 के मध्य

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला–करौली

जो पाटौली बाईपास से भब्बड का बास तक जाता है। काफी पुराना रास्ता है। भूमि के आस पास भी अन्य खातेदारो के प्लाट बने हुये है। इस तथ्य की जानकारी को है। फिर भी वादीगण ने वादपत्र अनावश्यक प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य

ार तनकीयात कायम की गई:–

ाया यह है कि वादपत्र मे मद न0 1 की आराजी वादीगण के कब्जेकाश्त व खातेदारी ी आराजी है। साबिक ख0न0 122 रकवा 5 बीधा 19 बिस्वा भूमि पूर्व खातेदार से ादीगण के पूर्वज ने खरीद की थी।

(जिम्मेवादी)

ाया यह है कि ख0न0 158/472/0.10, 158/548/0.18 सडक के पास होने से ाथा प्रतिवादी न0 1 ता 9 की भूमि ख0न0 156,157 स्थित होने से प्रतिवादीगण ख0न0 58/472/0.10, 158/548/0.18 को अपनी भूमि ख0न0 156, 157 मे जबरन मिला लेया है और बाउन्डी कर ली है वादीगण की खातेदारी की भूमि से बेदखल कर थायी निषेधज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने का हक है।

(जिम्मेवादी)

ाया यह है कि वादीगण की भूमि ख0न0 158/472 व 158/548 से हम प्रतिवादीगण ा कोई संबध नही है। झूटे मुकदमे मे फसाकर हमारी खातेदारी की भूमि ख0न0 156 157 को वादीगण हडपना चाहते है। प्रतिवादीगण ने वादीगण की भूमि पर कब्जा ही किया है। वादीगण का दावा खारिज किया जावे।

(जिम्मे प्रतिवादी 1 ता 9)

आया यह है कि ख0न0 156/0.20, 157/0.31 है0 मे प्रतिवादी हजारीलाल हिस्सा 1/4 816/5100 का खातेदार काश्तकार है। यह भूमि पूर्व खातेदार से रजिस्टर वेक्रय पत्र दिनांक 22.7.2013 व 22.5.2014 को खरीद की है। नामांतकरण खुल चुका है। वादीगण की भूमि पर हमारा कोई कब्जा नही है। 15 वर्ष पूर्व से ही ख0न0 156,157 की बाउन्डी वाल हो रही है। ख0न0 156, 157 तथा 158, 158/472, 158/548, 159 के मध्य काफी पुराना रास्ता है जो भब्बड का बास तक जाता है। वादीगण ने गलत दावा पेश किया है। दावा खारिज किया जावे।

(जिम्मे प्रतिवादी 11, 13, 14)

वादी ने वादपत्र के समर्थन मे ग्राम मेहन्दीपुर की नकल जमाबन्दी सम्वत 9 प्रदर्श–1, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी सम्वत 1 प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी सम्वत 2043–62 प्रदर्श–4, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–5, नक्शा ट्रेस साबिक प्रदर्श–6, शपथ पत्र वी नवलसिंह, गवाह रिंकू पुत्र लोचन सिंह, संह पुत्र प्रहलाद सिंह प्रस्तुत किये है वादी से प्रतिवादी वकील की जिरह पूर्ण हुई वादी ान की जिरह नही कराई। प्रतिवादी ने जबाब दावा के समर्थन मे नकल जमाबन्दी 2070–73 प्रदर्श–डी–1 किता 2, प्रतिवादी हजारी लाल का शपथ पत्र पेश किया वादी वकील ने जिरह पूर्ण की।

वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो पर दोहराते हुये कथन किया कि त आराजीयात वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी है। साबिक ख0न0 122 रकवा 5 9 बिस्वा नाथ्या पुत्र गिरधारी के नाम थी उनसे वादीगण के पूर्वजो ने जरिये रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 17.10.1987 से क्रय कर कब्जा कर प्राप्त किया है। प्रतिवादीगण का इस यात से कोई संबध नही है। प्रतिवादीगण ने ख0न0 158/472/0.10 है0, 548/0.18, पर प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा कर अपनी ख0न0 156, 157 मे मिला है। दौराने दावा प्रतिवादी न0 11 ने आराजी ख0न0 156, 157 के हिस्से मे प्रतिवादी न0

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम

से जमीन खरीद कर ली तथा इस खरीदी जमीन पर राजपूतो का कब्जा है। ोर्ट जो तैयार की गई है। वह मेरी जानकारी मे दिये बिना तैयार की गई है। मेरा ख्ली आराजीयात व स्थाई निषेधाज्ञा का है वादीगण की भूमि पर किये गये कब्जे व ो हटवाकर कब्जा वादीगण को दिलवाया जावे। प्रतिवादी वकील ने कथन किया कि ख0न0 156, 157 मे प्रतिवादी न0 13 हजारी लाल हिस्सा 1/4 816/5100 का काश्तकार है जो उसने खातेदारान से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तारीखी 22.7.13 14 को खरीद की है। जिससे वादीगण का कोई संबध नही है। खरीद शुदा जमीन वर्ष पूर्व से ही बाउन्ड्री वाल हो रही है। ख0न0 156, 157 तथा ख0न0 158, 2, 158/548, 159 के मध्य रास्ता है इस रास्ते के संबध मे ही वादी वकील द्वारा त्र अस्थायी निषेधाज्ञा मे दो बार मौका रिपोर्ट तलब करवाई है। उसमे भी स्पष्ट कि मौके पर ख0न0 158/472/0.10 है0 भूमि रास्ते के लिये सार्वजनिक उपयोग मे है। ख0न0 158/472 व 158/548 अन्य किसी का कब्जा नही है। पुनः प्रस्तुत हुई ोर्ट मे भी ख0न0 158/472 मे होकर रामसिह वगै0 का वर्तमान मे बोडी का बास के लिये रास्ता बना हुआ है जो मौके पर चालू अवस्था मे है। वादीगण की भूमि पर ाण का कोई किसी प्रकार का कब्जा नही है बल्कि दावे की आड मे प्रतिवादीगण की कब्जा करना चाहते है। इसलिये वादीगण दावा खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन करते हुये पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो तथा त्र अस्थायी निषेधाज्ञा मे शामिल मौका रिपोर्टो का अवलोकन किया गया।

तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार है

ानकी न0 1:– नकल जमाबन्दी सम्वत 2038–41 प्रदर्श–3 के अनुसार ख0न0 122 कवा 5 बीधा 19 बिस्वा की खातेदारी नाथ्या पुत्र गिरधारी जाति दरौगा के नाम दर्ज । मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 प्रदर्श–2 अनुसार ख0न0 122 रकवा 5 बीधा 19 बिस्वा से नवीन ख0न0 158/472/0.10, 158/548/0.18, 158/1.17, 159/0.05 ने है। जमाबन्दी सम्वत 2066–69 प्रदर्श–1 के अनुसार ख0न0 158/472, 158/548, 158, 159 की खातेदारी वादीगण के नाम है इस प्रकार यह तनकी वादीगण के हक मे निर्णित की जाती है।

तनकी न0 2:– प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे शामिल मौका रिपोर्ट दिनांक 12.04.2017 मे स्पष्ट है कि ख0न0 158/472/0.10 है0 भूमि रास्ते के लिये सार्वजनिक उपयोग मे आ रहा है। ख0न0 158/472 व 158/548 अन्य किसी का कब्जा नही है। वादी वकील ने मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया जो वाद सुनवाई स्वीकार करते हुये पुनः मौका रिपोर्ट तलब करने के तहसीलदार टोडाभीम को आदेश दिये गये। उनसे प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 07.08.2019 मे स्पष्ट है कि वादीगण की आराजीयात ख0न0 158/548 वादीगण की ही खातेदारी ख0न0 158 मे मिला हुआ है। तथा ख0न0 158/472 मे होकर रामसिंह वगै0 का वर्तमान मे बोडी का बास मेहन्दीपुर के लिये रास्ता बना हुआ है जो मौके पर आज दिनांक तक चालू है। जिरह के दौरान वादी नवल सिंह ने भी बयान दर्ज कराते हुये स्वीकार किया है कि जिस समय मेने जमीन खरीदी थी उस समय सीमाज्ञान नही कराया विवादित भूमि मे होकर रोड निकल रहा है बाईपास रोड मे हमारी जमीन गई है जिसकी कोई नाप तोल नही कराई है। प्रतिवादी हजारीलाल से हुई जिरह मे कहा है कि खरीद के समय से पहले से ही बाउन्ड्री हो रही है। रामसिंह की जमीन मे दो दुकान बनी हुई है। रामसिंह की जमीन की बाउन्ड्री मेरे जमीन खरीदने से पहले ही बनी हुई है। वादीगण की जमीन से हमारा कोई लेना देना नही है। उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि आराजी ख0न0 158/472 रकवा 0.10 है0 भूमि रास्ते के लिये सार्वजनिक उपयोग मे आ रही है, व ख0न0 158/548 वादीगण की स्वंय की आराजी ख0न0 158 मे मिला हुआ है। बाउन्ड्री का

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला–करौली

र्माण प्रतिवादी द्वारा जमीन खरीदने से पूर्व किया हुआ है। अतः उक्त दोनो रिपोर्टो स्पष्ट है कि वादीगण की जमीन पर कोई अतिक्रमण नही है इस प्रकार यह तनकी खिलाफ वादी निर्णित की जाती है।

नकी न0 3:– इस तनकी का विवेचन तनकी न0 2 मे किया है।

नकी न0 4:– नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–73 प्रदर्श–डी–1 के अनुसार ख0न0 56/0.20, 157/0.31, मे प्रतिवादी हजारी लाल पुत्र प्रभूदयाल जाति कोली की ानगी देवी पत्नि भौदूराम का हिस्सा 1/4 कय कर जरिये नामांतकरण न0 266 दनांक 5.9.13 एवं मूलचन्द, संतराम, गुलाब, पप्पू पि0 गोपी, उगन्ती पुत्री गोपी के हस्सा 1020/5100 मे से हिस्सा 816/5100 कय कर जरिये नामांतकरण संख्या 291 दनांक 20.6.14 खातेदारी दर्ज हुयी है। अतः पत्रावली मे सलग्न रिकार्ड के अनुसार ह तनकी प्रतिवादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है। तनकी के शेष भाग का विस्तृत विवेचन तनकी न0 2 मे किया जा चुका है।

अतः तनकीवार निर्णय के परिप्रेक्ष्य मे वादीगण का दावा खारिज किया चित पाता हूँ।

आदेश

उपरोक्त तनकीवार निर्णय अनुसार वादीगण का दावा खारिज योग्य होने से किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम जिला करौली